A052-20222023-002-1606058

संख्या:-06/2022/523/52-1-2022-01(150)/13

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 2022

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद के अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्ड रजापुर एवं भोजपुर में कराये गये बेस लाइन सर्वे हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की गत वित्तीय वर्ष में समर्पित अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से पुन: आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र संख्या-4907/अ0सं0क0नि0/2021-22, दिनांक 16.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.03.2020 द्वारा समर्पित धनराशि में से जनपद-गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर एवं भोजपुर में बेस लाईन सर्वे की समर्पित अवशेष धनराशि पुन: निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गाजियाबाद के अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्ड रजापुर एवं भोजपुर में बेस लाईन सर्वे हेतु उक्त अवशेष धनराशि में से केन्द्रांश रू0 2.10 लाख (रूपये दो लाख दस हजार) एवं राज्यांश रू0 1.40 (रूपये एक लाख चालीस हजार) अर्थात **कुल धनराशि रू0 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र)** योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा शीर्षक-2235-02-800-01-0105 में प्राविधानित बजट रू0 3600.00 लाख तथा संगत राज्यांश के लेखाशीर्षक-2235-02-800-89-8905 में प्राविधानित बजट रू0 2400.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	कार्यदायी संस्था का नाम	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि		अवमुक्त हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (के0+रा0)
										केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0ख0-रजापुर एवं भोजपुर में बेस लाइन सर्वे	ग्रुपियस सोशल वेलफेयर सोसायटी डेवलपमेन्ट सर्विसेज इण्टर नेशनल संस्था	02	3.50	4.20	2.80	7.00	3.50	2.10	1.40	3.50
			योग		**3.50**	**4.20**	**2.80**	**7.00**	**3.50**	**2.10**	**1.40**	**3.50**

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित **जिलाधिकारी** को हस्तान्तरित की जायेगी तथा **जिलाधिकारी** द्वारा बेस लाइन सर्वे की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी

(2)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 30.12.2021, 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020, के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(3)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।**

(4)- उपरोक्त परियोजनाओं हेतु **अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।**

(5)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।**

(6)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

(9)- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आफिस मेमोरेन्डम संख्या-आई0/(33)/पी0एफ0एम0एस0/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन की जिम्मेदारी निदेशालय की है।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-(के0 60/रा0 40-के0+रा0)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" तथा राज्यांश हेतु व्यय लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश- " 8905-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामें डाला जायेगा।**

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**E-4-40-X-2022-23**, दिनांक **28.06.2022** में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-523(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **गाजियाबाद।**
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in